न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 28/2025(GCMS 2025/194)
(RTI No. 212887744032271)

श्री सुधीर कुमार वीपीओ नानूवाला (36 एलएनपी), तहसील रायसिंहनगर जिला **श्रीगंगानगर** (मोबाईल नम्बर 97725–11273)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुधीर कुमार स्वयं उपस्थित नही हुए पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी सुधीर कुमार ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2024 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुधीर कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. चक 36 एनपी तहसील रायसिंहनगर की प्रमाणित नक्शा जिसमें खाला सड़क आदि को दर्शाया गया हो।
2. चक 46 एनपी तहसील रायसिंहनगर का प्रमाणित नक्शा जिसमें सड़क खाला आदि दर्शाया गया हो।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी की मूल अपील अपने पत्रांक आरटीआई/2025/275 दिनांक 07.05.2025 से तहसीलदार, रायसिंहनगर को हस्तान्तरित कर दी थी और तहसीलदार, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/3173 दिनांक 09.05.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चक 36 एनपी व 46 एनपी के सम्पूर्ण खाला रास्ता व सड़क जो कि इन चकों में स्थित है, की प्रमाणित नकल चाही गई है, आप द्वारा चाही गई सूचना में आप अपने हित तक की (प्रमाणित नकल) किसी भी कार्य दिवस में संबंधित पटवारी हल्का नानूवाला व बगीचा से प्राप्त की जा सकती है।

जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार जवाब प्रेषित नहीं किया है, इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार(राजस्व), रायसिंहनगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं उसे सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाई जावे। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:48 IST
Reason: SelfAttested